

Subject: Online implementation of NFSM- Coarse Cereals for the year 2021-22.

- 1. Section in which Scheme is activated:** Crop Demonstration | प्रदर्शन प्लाट
- 2. Scheme Name:** National Food Security Mission – Coarse Cereals | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन– मोटे अनाज।
- 3. Program Name which needs to be activated:**
Demonstration on Improved Package –Maize | उन्नत समग्र पर मक्का के प्रदर्शन प्लांट
- 4. Financial Year: 2021-22**
- 5. Start Date: 09.06.2021**
- 6. End Date: 30.07.2021**
- 7. Total Area Allocated (In Hectare): 250 ha.**
- 8. Unit (Area Unit): Hectare.**
- 9. Total Fund Allocated (INR): Rs. 15 lakh**
- 10. Assistance: Rs. 6000/- per Ha.**
- 11. Max Area Limit: 1 Hact (2.5 acre).**
- 12. Extend Days (if any optional)**
- 13. Guidelines (PDF only):**
 1. एक किसान को अधिकतम 1 हैक्टर का लाभ दिया जाएगा।
 2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
 3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन www.agriharyana.gov.in under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
- 14. Notifications (PDF only)**
- 15. Certificate required (if any Certificate is required from farmer for applying this scheme):** Aadhaar Card, Voter Card, Pan Card, Bank detail and Mobile Number. One application per farmer with land record Verified from Patwari
- 16. Activation date with time.**
- 17. Is there any limit on application coming from farmer side**
Yes provide amount or percentage.

District Wise Physical & Financial targets for NFSM- Coarse Cereal (Maize Demonstrations on improved packages-on hybrid variety)2021-22 (Assistance @ Rs. 6000/- Ha.)

Sr. No.	Distt.	General		SC		Total	
		Phy (in Ha)	Fin (in Rs. Lakhs)	Phy (in Ha)	Fin (in Rs. Lakhs)	Phy (in Ha)	Fin (in Rs. Lakhs)
1	Panchkula	128	7.68	32	1.92	160	9.60
2	Rohtak	72	4.32	18	1.08	90	5.40
	Total	200	12.00	50	3.00	250	15.00

Subject: Online implementation of NFSM- Coarse Cereals for the year 2021-22.

- 1. Section in which Scheme is activated:** Distribution | वितरण
- 2. Scheme Name:** National Food Security Mission – Coarse Cereals | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन– मोटे अनाज।
- 3. Program Name which needs to be activated:**
Distribution Of Certified Seed Hyv of Maize less than 10 year | प्रमाणित बीज व अधिक उपज देने वाली किस्में (10 वर्ष से कम)
- 4. Financial Year: 2021-22**
- 5. Start Date: 09.06.2021**
- 6. End Date: 30.07.2021**
- 7. Total Area Allocated (In Hectare): 200 Ha.**
- 8. Unit (Area Unit): Hectare.**
- 9. Total Fund Allocated (INR): Rs. 6.00 lakh**
- 10. Assistance: Rs. 3000/- per Qtl.**
- 11. Max Area Limit: 1 Ha. (2.5 acre).**
- 12. Extend Days (if any optional)**
- 13. Guidelines (PDF only):**
 1. एक किसान को अधिकतम 1 हैक्टेयर (2.5 एकड) का लाभ दिया जाएगा।
 2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
 3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन www.agriharyana.gov.in under the [link E-Agri Schemes Governance link](#) पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
- 14. Notifications (PDF only)**
- 15. Certificate required (if any Certificate is required from farmer for applying this scheme):** Aadhaar Card, Voter Card, Pan Card, Bank detail and Mobile Number. One application per farmer with land record Verified from Patwari.
- 16. Activation date with time.**
- 17. Is there any limit on application coming from farmer side**
Yes provide amount or percentage.

District wise physical and financial target of Distribution of Certified Seed of High Yielding Varieties of Maize less than 10 year :- (Assistance @ Rs. 3000/-Qtl)

Sr. No.	Distt	General		SC		Total	
		Phy (in Ha)	Fin (in Rs. Lakhs)	Phy (in Ha)	Fin (in Rs. Lakhs)	Phy (in Ha)	Fin (in Rs. Lakhs)
1	Panchkula	96	2.88	24	0.72	120	3.60
2	Rohtak	64	1.92	16	0.48	80	2.40
	Total	160	4.80	40	1.20	200	6.00

Subject: Online implementation of NFSM- Coarse Cereals for the year 2021-22.

- 1. Section in which Scheme is activated:** Distribution | वितरण
- 2. Scheme Name:** National Food Security Mission – Coarse Cereals | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन– मोटे अनाज।
- 3. Program Name which needs to be activated:**
Distribution Of Certified Seed Hyv of Maize More than 10 year | प्रमाणित बीज व अधिक उपज देने वाली किस्में (10 वर्ष से अधिक)
- 4. Financial Year: 2021-22**
- 5. Start Date: 09.06.2021**
- 6. End Date: 30.07.2021**
- 7. Total Area Allocated (In Hectare): 80 Ha.**
- 8. Unit (Area Unit): Hectare.**
- 9. Total Fund Allocated (INR): Rs. 1.20 lakh**
- 10. Assistance: Rs. 1500/- per Qtl.**
- 11. Max Area Limit: 1 Ha. (2.5 acre).**
- 12. Extend Days (if any optional)**
- 13. Guidelines (PDF only):**
 1. एक किसान को अधिकतम 1 हैक्टेयर (2.5 एकड) का लाभ दिया जाएगा।
 2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
 3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन www.agriharyana.gov.in under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
- 14. Notifications (PDF only)**
- 15. Certificate required (if any Certificate is required from farmer for applying this scheme):** Aadhaar Card, Voter Card, Pan Card, Bank detail and Mobile Number. One application per farmer with land record Verified from Patwari.
- 16. Activation date with time.**
- 17. Is there any limit on application coming from farmer side**
Yes provide amount or percentage.

District wise physical and financial target of Distribution of Certified Seed of High Yielding Varieties of Maize More than 10 year :- (Assistance @ Rs. 1500/-Qtl)							
Sr. No.	Distt	General		SC		Total	
		Phy (in Ha)	Fin (in Rs. Lakhs)	Phy (in Ha)	Fin (in Rs. Lakhs)	Phy (in Ha)	Fin (in Rs. Lakhs)
1	Panchkula	44	0.66	11	0.165	55	0.83
2	Rohtak	20	0.3	5	0.075	25	0.38
	Total	64	0.96	16	0.24	80	1.20

Subject: Online implementation of NFSM- Coarse Cereals for the year 2021-22.

- 1. Section in which Scheme is activated:** Distribution | वितरण
- 2. Scheme Name:** National Food Security Mission – Coarse Cereals | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन– मोटे अनाज।
- 3. Program Name which needs to be activated:**
Distribution of Maize Hybrid Seed |बीज वितरण में संकर मक्का बीज
- 4. Financial Year: 2021-22**
- 5. Start Date: 09.06.2021**
- 6. End Date: 30.07.2021**
- 7. Total Area Allocated (In Ha.): 35 Ha.**
- 8. Unit (Area Unit): Hectare.**
- 9. Total Fund Allocated (INR): Rs. 3.50 lakh**
- 10. Assistance: Rs. 10000/- per Qtl.**
- 11. Max Area Limit: 1 Ha. (2.5 acre).**
- 12. Extend Days (if any optional)**
- 13. Guidelines (PDF only):**
 1. एक किसान को अधिकतम 1 हैक्टेयर (2.5 एकड) का लाभ दिया जाएगा।
 2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
 3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन www.agriharyana.gov.in under the [link E-Agri Schemes Governance link](#) पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
- 14. Notifications (PDF only)**
- 15. Certificate required (if any Certificate is required from farmer for applying this scheme):** Aadhaar Card, Voter Card, Pan Card, Bank detail and Mobile Number. One application per farmer with land record Verified from Patwari.
- 16. Activation date with time.**
- 17. Is there any limit on application coming from farmer side**
Yes provide amount or percentage.

District wise physical and financial target of Distribution of Maize Hybrid Seed :- (Assistance @ Rs. 10000/-Qtl)							
Sr. No.	Dist	General		SC		Total	
		Phy (in Ha)	Fin (in Rs. Lakhs)	Phy (in Ha)	Fin (in Rs. Lakhs)	Phy (in Ha)	Fin (in Rs. Lakhs)
1	Panchkula	16	1.60	4.0	0.40	20	2.00
2	Rohtak	12	1.20	3.0	0.30	15	1.50
	Total	28	2.80	7.0	0.70	35	3.50

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन –मोटे अनाज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों पंचकूला व रोहतक (2 जिलों) में मक्का के प्लाट प्रदर्शन में उन्नत समग्र– संकर किस्मों पर किसानों को अनुदान दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट www.agriharyana.gov.in में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (फसल की बिजाई के समय अनुसार) तक कर सकते हैं।

मक्का के प्रदर्शन प्लाट पर रू0 6000/ हैक्टेयर सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical & Financial targets for NFSM- Coarse Cereal (Maize Demonstrations on Improved Packages-on hybrid variety) 2021-22 (Assistance @ Rs. 6000/- Ha.)							
Sr. No.	Distt	General Category		SC Category		Total	
		Physical Target (in Ha)	Financial Target (in Rs. Lakhs)	Physical Target (in Ha.)	Financial Target (in Rs. Lakhs)	Physical Target (in Ha.)	Financial Target (in Rs. Lakhs)
1	Panchkula	128	7.68	32	1.92	160	9.60
2	Rohtak	72	4.32	18	1.08	90	5.40
Total		200	12.00	50	3.00	250	15.00

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 1 हैक्टेयर (2.5 एकड) का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन www.agriharyana.gov.in under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि
[अधिकारी/उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन –मोटे अनाज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों पंचकूला व रोहतक (2 जिलों) में मक्का के बीज वितरण में संकर मक्का बीज, प्रमाणित बीज व अधिक उपज देने वाली किस्में एवं 10 वर्ष से कम व 10 वर्ष से अधिक की किस्मों में मक्का पर अनुदान किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट [www. agriharyana.gov.in](http://www.agriharyana.gov.in) में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (फसल की बिजाई के समय अनुसार) तक कर सकते हैं।

मक्का के बीज वितरण में प्रमाणित बीज व अधिक उपज देने वाली किस्में 10 वर्ष से कम किस्मों पर रू0 3000/ क्विंटल व 10 वर्ष से अधिक की किस्मों पर रू0 1500/ क्विंटल सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District wise physical and financial target of Distribution of Certified Seed of High Yielding Varieties of Maize (Area in Ha and Rs. in Lakh)													
Sr. No	Distt	less than 10 year :- (Assistance @ Rs. 3000/-Qtl)						More than 10 year :- (Assistance @ Rs. 1500/-Qtl)					
		General		SC		Total		General		SC		Total	
		Phy. (in Qtl)	Fin.(in Rs. Lakhs)	Phy. (in Qtl)	Fin.(in Rs. Lakhs)	Phy. (in Qtl)	Fin.(in Rs. Lakhs)	Phy. (in Qtl)	Fin.(in Rs. Lakhs)	Phy. (in Qtl)	Fin.(in Rs. Lakhs)	Phy. (in Qtl)	Fin.(in Rs. Lakhs)
1	Panchkula	96	2.88	24	0.72	120	3.60	44	0.66	11	0.165	55	0.83
2	Rohtak	64	1.92	16	0.48	80	2.40	20	0.3	5	0.075	25	0.38
	Total	160	4.80	40	1.20	200	6.00	64	0.96	16	0.24	80	1.20

बीज वितरण में संकर मक्का बीज पर रू0 10000/ क्विंटल सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District wise physical & financial target of Distribution of Maize Hybrid Seed :- (Assistance @ Rs. 10000/-Qtl)							
Sr. No.	Distt	General		SC		Total	
		Phy. (in Qtl)	Fin.(in Rs. Lakhs)	Phy. (in Qtl)	Fin.(in Rs. Lakhs)	Phy. (in Qtl)	Fin.(in Rs. Lakhs)
1	Panchkula	16	1.60	4.0	0.40	20	2.00
2	Rohtak	12	1.20	3.0	0.30	15	1.50
	Total	28	2.80	7.0	0.70	35	3.50

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 1 हैक्टर (2.5 एकड) का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन www.agriharyana.gov.in under the [link E-Agri Schemes Governance link](#) पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी/उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा